हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in Email : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव, मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 67508 | दिनांक : 28.09.2023

माननीया राष्ट्रपति महोदया,
भारत सरकार,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली– 110001

विषय:– **रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।**

महोदया,

विनम्र निवेदन है कि ओबीसी के उपवर्गीकरण हेतु सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31 जुलाई 2023 को आपको सौप दी है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि दो माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आज तक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक नहीं किया गया है।

रोहिणी आयोग का गठन ओबीसी के उपवर्गीकरण हेतु सरकार को सलाह देने के लिए किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में लोक प्राधिकारी को ऐसी रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु बाध्य किया गया है। जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कम से कम अवलंब लेना पड़े। आयोग द्वारा अभी तक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन है।

अतः आप से अनुरोध है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को निर्देशित करने की कृपा करें कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से वेबसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक किया जाये।

कृपया त्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद।

भवदीय,

(पाराशर नारायण)
अध्यक्ष